कार्यालय–जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्या–   /आठ–अ0जि0अ0 (भू0अ0) शा0सहा0परि0 लखनऊ   दिनांक–   नवम्बर, 2019

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर (ए0टी0एस0), लखनऊ हेतु ग्राम– बेहटवा व अनौरा की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व ''**भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013** एवं '**भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016**'' के अनुसार सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, .2019 को लोक सुनवाई की गयी है। लोक सुनवाई के समय सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना तैयार की गई है।

अतः '**भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016**'' के अध्याया–2 के नियम–8 के अनुसार, कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर (ए0टी0एस0), लखनऊ हेतु प्रस्तावित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि वह एस0आर0 एशिया, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का अवलोकन, अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) शारदा सहायक परियोजना, कलेक्ट्रेट, लखनऊ के साथ उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ व तहसीलदार, सरोजनीनगर, लखनऊ के कार्यालय के साथ–साथ जिले की वेबसाइट पर भी अवलोकित कर सकते है।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी,लखनऊ।

सं0 व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को इस निर्देश के साथ सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact Assesment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना को सर्वजन के अवलोकन हेतु जिल की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact Assesment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु तहसील/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड/सार्वजनिक दृष्टव्य स्थान पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

4– नाजिर (सदर), लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact Assesment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना को सर्वजन के अवलोकनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

जिलाधिकारी,
लखनऊ